

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या 1772/2014.....जिला.....अजमेर.....

उनवान- श्री हीरालाल गांधी पुत्र श्री माणकचन्द गांधी जरिए दिलीप कुमार गांधी पुत्र श्री सूरजमल गांधी अजमेर बनाम राजस्थान सरकार जरिए उपपंजीयक -प्रथम अजमेर व अन्य ।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12.01.2015	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्रीमती आशा कुमारी, सदस्य</u></p> <p>प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री कृष्ण गोपाल खत्री व अप्रार्थी विभाग की ओर से श्री आर के अजमेरा, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमे राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. प. 2(6)वित्त/कर/2014 -143 दिनांक 16.12.2014 का लाभ लेने हेतु प्रस्तुत निगरानी को विद्झा करने हेतु निवेदन किया गया। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने इस संबंध में प्रस्तुत निगरानी को विद्झा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी विद्झा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 1772/2014 "सारहीन" हो जाने के कारण खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">31/12-15 (आशा कुमारी) सदस्य</p>	